न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 56 / 2021

1 ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामलाल जाति माली निवासी मिटावा कृषि फार्म दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सुनिता देवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल जाति माली निवासी दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 अभिषेक पुत्र स्व. श्री बाबूलाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुनिता देवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल जाति माली निवासी दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 मांगी देवी पत्नी स्व. रामलाल जाति माली निवासी मिटावा कृषि फार्म दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं। (नाम हजफ)
4 सरोज पुत्री स्व. रामलाल पत्नी गटू जाति माली निवासी मिटावा कृषि फार्म दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.05.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा उनवानी
सुनिता देवी वगे. बनाम मांगी देवी वगै. मु.नं. 265 / 2014

अपील संख्या 57 / 2021

1 ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामलाल जाति माली निवासी मिटावा कृषि फार्म दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बनाम

1 सुनिता देवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल जाति माली निवासी दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 अभिषेक पुत्र स्व. श्री बाबूलाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुनिता देवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल जाति माली निवासी दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 मांगी देवी पत्नी स्व. रामलाल जाति माली निवासी मिटावा कृषि फार्म दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं। (नाम हजफ)
4 सरोज पुत्री स्व. रामलाल पत्नी गटू जाति माली निवासी मिटावा कृषि फार्म दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अंतिम डिक्री दिनांक 19.08.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा
उनवानी सुनिता देवी वगै. बनाम मांगी देवी वगै.
मु.नं. 265/2014

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेद सिंह भाम्बू, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.4.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 265/2014 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2016 व 19.08.

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा जमीन बाबत भूमि खसरा नम्बर 47 वाके ग्राम दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की उक्त आदेशिका का अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में 12.02.2016 को पीठासीन अधिकारी दौरे पर होने से तारीख पेशी 29.02.2016 दर्ज की गई जिसमें भी कांट छांट कर पूर्व नियत तारीख पेशी को परिवर्तित किया जाना दर्शित हो रहा है। अपीलान्ट को जो नोटिस प्रेषित किया गया उसका अवलोकन किया जावे तो उक्त नोटिस में भी उपस्थित होने की तारीख भी 25.02.2016 अकित है। जबकि दावा में 25.02.2016 की कोई तारीख पेशीी नियत न होना विचारण न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है। इस नोटिस की तामील विधि संवत नहीं है और विचारण न्यायालय के उक्त नोटिस के आधार पर अपीलान्ट की तामील मानकर दिनांक 29.02.2016 को अपीलान्ट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने में व तदोपरान्त एकपक्षीय साक्ष्य लेकर उक्त दावा डिक्री करने में कानूनी भुल की है। सभी प्रकार से उक्त नोटिस की तामील को आदेश 5 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। वादग्रस्त जमीन में रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 का कोई कब्जा एवं काश्त नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में भी रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने गलत तोर से अपना हिस्सा अवैधानिक हक त्याग विलेख दिनांक 24.01.2012 के आधार पर बढ़वा लिया जिसके विरूद्व व्यथित पक्षकार मंजू देवी पुत्री स्व. रामलाल सैनी जाति माली निवासी गांव दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं ने वादग्रस्त भूमि बाबत रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 द्वारा तस्दीक करवाये गये हक त्याग विलेख दिनांक 24.02.2012 को निरस्त करवाने का दावा सिविल न्यायाधीश नवलगढ़ के यहां उनवानी मंजू देवी बनाम मांगी देवी वगै. पेश कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है उक्त दावे में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2 बतौर प्रतिवादी पक्षकार है उनकी तरफ से जवाब दावा भी प्रेषित किया जा चुका है। वादग्रस्त जमीन के बाबत सिविल न्यायालय में विचाराधीन दावा उनवानी मंजू देवी बनाम मांगी देवी वगै. के तथ्यों को रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने विचारण न्यायायल में प्रस्तुत अपने दावा में जानबुझकर छिपाया है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 10 के मुताबिक एक ही सम्पत्ति के दो दावे को अलग–अलग न्यायालय में विचाराधीन व निस्तारण योग्य नहीं होते है। उक्त प्रकरण में दिनांक 08.01.2019 को विभाजन प्रावधान हेतु फर्द मौका तैयार की गई किन्तु इसकी भी कोई सूचना अपीलान्ट को कभी भी पटवार हल्का ढाणीया नवलगढ़ के द्वारा अथवा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट को नहीं दी गई न ही मौके पर कोई विभाजन प्रस्ताव हेतु पटवारी अथवा तहसीलदार आया, अपीलान्ट का मौके पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है उक्त विभाजन प्रस्ताव भी गलत व अवैधानिक तौर से ऑफिस में बैठकर तैयार किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी/अपीलान्ट को विचारण न्यायालय के अंतिम निर्णय व डिक्री 19.08.2019 की जानकारी उक्तानुसार प्रारम्भ से ही नहीं थी और न ही उक्तानुसार अपीलान्ट को उक्त दावा का कोई नोटिस आज तक प्राप्त हुआ और न ही अपीलान्ट की तामील विधिक सम्मत है। दिनांक 28.07.2021 को रेस्पोडेन्ट नं. 1 सुनिता देवी अपने साथ अन्य 15–20 लोगो को लेकर अपीलान्ट के हक हिस्से की जमीन पर आई और कहा कि यह जमीन हमारी है खाली कर दो, रेस्पोडेन्ट नं. 1, इसके साथ आये 15–20 लोगो ने अपीलान्ट को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने की व उक्त भूमि को विक्रय करने की ऐलानिया धमकिया दी और कहा कि उक्त जमीन का दावा हम जीप गये है 1–2 दिन में जमीन खाली देना वरना जान से मार देंगे जिस पर अपीलान्ट दिनांक 29.06.2021 को उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ में आये व उक्त दावा के बारे में मालुमात किया तो पता चला कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने गलत व अवैधानिक तौर से अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर उक्त दावा की दिनांक 02.05.2016 को प्रारम्भिक डिक्री व दिनांक 19.08.2019 को अंतिम डिक्री जारी करवाई है जिस पर अपीलान्ट ने उक्त सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र कमांक 870 दिनांक 29.07.2021 को पेश किया जो नकल प्रार्थी/अपीलान्ट को 30.07.2021 को प्राप्त हुई जिस पर जल्द से

अनिल कुमार II RAS
प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जल्द वर्तमान अपील पेश की जा रही है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा जमीन बाबत भूमि खसरा नम्बर 47 वाके ग्राम दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट ओमप्रकाश प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय में ओमप्रकाश की सम्यक तामील हुई है। तामील पर तामील कुनिन्दा की स्पष्ट रिपोर्ट अंकित है। नोटिस लेने से इंकार करने पर चश्पांदगी से तामील करवाई गई है। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार दिनांक 29.02.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय ने विभाजन के वाद में विधिक प्रक्रिया की पालना कर वादी की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई दिनांक 02.05.2016 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। दिनांक 13.08.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये है। विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अंतिम डिक्री की राजस्व रिकार्ड में पालना हो चुकी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा जमीन बाबत भूमि खसरा नम्बर 47 वाके ग्राम

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी।

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट ओमप्रकाश प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय में ओमप्रकाश की सम्यक तामील नहीं हुई है। तामील पर तामील कुनिन्दा की अस्पष्ट रिपोर्ट अंकित है। नोटिस लेने से इंकार करने पर चशपांदगी से तामील तामील कुनिन्दा ने अंकित की है किन्तु तामीली रिपोर्ट पर न तो गवाह के हस्ताक्षर है एवं न ही तामीली रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा सत्यापित है। ऐसी स्थिति में तामीली कार्यवाही विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की सम्यक तामील करवाये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित विचाराधीन प्राथमिक डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी किये बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। नोटिस जारी किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इन विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.05.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.4.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)